प्रेस नोट 04/08/2019

दिनांक 03.07.2019 को रात्रि 08 बजे पुलिस लाईन के सभागार हाल में सैनिक सम्मेलन/अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, समस्त सर्किल के समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त थाना प्रभारी/प्रभारी निरीक्षक, एवं अन्य शाखाओं के अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सर्वप्रथम कर्मचारियों की समस्याओं को सुना गया एवं उसके निदान हेतु सम्बन्धित को सख्त निर्देशित किया गया व बताया गया कि सभी कर्मचारी अपने–अपने बीट क्षेत्र की छोटी से छोटी घटना की जानकारी रखें व आवश्यक कार्यवाही करें तथा सभी कर्मचारियों को हिदायत दी गयी कि वो अपने–अपने बीट क्षेत्र में हीस्ट्रीशीटरों/असामाजिक तत्वों पर सतर्क दृष्टि बनाये रखे और अगर किसी प्रकार की घटना घटी तो सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निम्नलिखित दिशा–निर्देश दिये गये–

1. रेल के पटरियों के आस–पास रहने वाले जातियों का सत्यापन कर आवश्यक कार्यवाही करें।

2. जीआरपी से लुटेरों की लिस्ट प्राप्त कर थाना क्षेत्र में रहने वालों स्थानों पर दबिश देकर प्रभावी कार्यवाही करें।

3. थाना कोतवाली व जीआरपी की संयुक्त टीम बनाकर नगर क्षेत्र में स्टेशन के आस–पास रहने वाले घुमक्कड़ जातियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करें।

4. आईजीआरएस पोर्टल/कार्यालय स्तर पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों का अतिशीघ्र निस्तारण कर जांच आख्या समय से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

5. भूमि विवाद सम्बन्धी प्रा0पत्रों का निस्तारण समाधान दिवस के दौरान ज्यादा से ज्यादा करें।

6. ई–चालान के जरिये वाहनों का चालान/जुर्माना करें।

7. महिला सम्बन्धी अपराधों, भूमि, 307, 308 अपराधों में गुण्डा/गैंगेस्टर की कार्यवाही करे।

8. टाप 10 अपराधियों का फ्लैक्सी बोर्ड थानों पर लगवाना सुनिश्चित करें।

9. विवेचनाओं का निस्तारण अभियान के दौरान निस्तारण अपेक्षा के अनुरुप न किये जाने पर अभियान 15 दिवस और बढ़ाया गया है, इस दौरान विवेचनाओं का निस्तारण अधिक से अधिक करना सुनिश्चित करें।

10. आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत समस्त थाना प्रभारी अपने–अपने थाना क्षेत्र के विशेष पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर सहयोग लेना सुनिश्चित करें।

11. वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करें और अपने–अपने थाना क्षेत्र में रोजाना सक्रिय रात्रि गस्त करें जिससे चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

इस दौरान सराहनीय कार्यों के दृष्टिगत कॉप आफ द मंथ चुने गये क्षेत्राधिकारी नगर राजकुमार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ जनपद के समस्त थानों/पुलिस लाईन/पुलिस अधीक्षक व यूपी 100 के 97 पुलिस कर्मचारियों को सराहनीय कार्यो को लेकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

<u>10 परिवारों में लौटी खुशियां, ऐच्छिक ब्यूरो के प्रयास से पांच दंपति साथ– साथ रहने को हुए राजी</u>

मऊ। महिला ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक रविवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देशन तथा सीओ घोसी श्वेता आशुतोष की देखरेख में पुलिस लाइन में हुई। इसमें कुल 29 पारिवारिक मामले आए, जिसमें ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से 12 मामलों का निस्तारण हुआ। जिसमें पांच दंपतियों ने अपना–अपना मतभेद भुलाकर साथ–साथ रहने को तैयार हो गए। शेष मामलो में बैठक की अगली तिथि 18 अगस्त 2019 नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया।

ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से समीना खातून और अमन आजमी, शायदाबानो और एनामुल्लाह, प्रियंका और सुशील, बबिता और सूरज, तथा गीता और रामकठिन ने अपान–अपना मतभेद भुलाकर साथ–साथ रहने को तैयार हो गए। पांच जोड़ो के सुलह कर लेने के चलते दस परिवारों के बीच टूट रहे रिश्ते फिर से जुट जाने से उनकी खुशियां पुनःलौट आई। वही अनिल कुमार और अनिता गुप्ता तथा शिवम और राधा का मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते तथा संगीता और सोनू,सुशीला और वकील, चांदनी और संतोष तथा सुनीता और रविंद्र के लगातार अनुपस्थित होने के चलते मामला निस्तारित कर दिया गया। वही आरती और मुकेश के मामले में पक्षकारों के बीच सुलह कर लेने पर मामला निस्तारित कर दिया गया। इस दौरान तीन मामलों में पक्षकारो ने सुलह के लिए समय की मांग किया। वही आठ मामलों में एक–एक पक्षकार उपस्थित हुए। तथा छह मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 18 अगस्त 2019 नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यगण सर्वेश दूबे, इब्राहिम सेवक ,अर्चना उपाध्याय, विनोद कुमार सिंह, मौलवी अरसद, डा. एमए खान, महिला आरक्षी इशरावती यादव ने अपना योगदान दिया। इस मौके पर काफी संख्या में पक्षकार और उनके परिजन उपस्थित रहे।

<u>एक वांक्षित अभियुक्त गिरफ्तार–</u>

थाना कोतवाली में आज दिनांक 04.08.19 को उपनिरीक्ष नीरज यादव मय हमराहियान के साथ देखभाल क्षेत्र के दौरान मु0अ0सं0 349/19 धारा 354 भादवि में वांछित अभियुक्त मनोज पुत्र सुग्रीव निवासी ख्वाजाजहांपुर थाना कोतवाली मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>शांति भंग की आशंका में कुल 15 व्यक्ति गिरफ्तार–</u>

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 04.08.19 को देखभाल क्षेत्र के दौरान, थाना घोसी पुलिस द्वारा विशाल निवासी लाखीपुर थाना घोसी, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा रमेश व नंदलाल निवासीगण रेवड़ीडीह थाना कोपागंज, थाना मधुबन पुलिस द्वारा भाष्कर निवासी संभरियां, अरविंद निवासी हैबतपुर, राजेश निवासी रसूलपुर थाना मधुबन, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा रवीन्द्र, जोगेन्द्र, ऋषि, दुर्गविजय व अरविंद निवासीगण हाजीपुर थाना सरायलखंसी व थाना कोतवाली पुलिस द्वारा ओसमा, एजाज, फैजान व सहनवाज निवासीगण मुदनपुरा थाना कोतवाली मऊ को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अर्न्तगत गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।